अखिल भारतीय असाटी (वैश्य) समाज महासभा

(रजि. 01/01/01/33612/18)

बायलॉज (नियमावली)

प्रर्वतक – अखिल भारतीय असाटी (वैश्य) समाज

बायलॉज (नियमावली) संशोधन समिति
अखिल भारतीय असाटी (वैश्य) समाज महासभा

बैठक – दिनांक 02 अक्टूबर 2019 दिन – बुधवार

स्थान – बायलॉज संशोधन समिति के संयोजक श्री शैलेन्द्र गप्ता की अध्यक्षता में बायलॉज समिति की बैठक सरोजिनी बाई असाटी समाज भवन जबलपुर (म0प्र0) में आयोजित की गई। जिसमें बायलॉज समिति के निम्न लिखित सदस्य उपस्थित रहे –

कमांक	सदस्य का नाम	पता	मोबाइल	हस्ताक्षर
1.	श्री शैलेन्द्र गुप्ता (असाटी)	जबलपुर	9179150064	
2.	श्री एम0 के0 असाटी	टीकमगढ़	9425488065	
3.	श्री नन्दकिशोर असाटी	आमगांव	9923795261	
4.	श्री मुन्ना लाल मोदी (असाटी)	वारासिवनी	9425403136	
5.	श्री वीरेन्द्र असाटी	बड़ामलहरा	8959619993	
6.	श्री अरूण असाटी	जबलपुर	9425864880	
7.	श्री विनय असाटी	दमोह	7000342259	
8.	श्री अमित असाटी (सी.ए.)	भोपाल	8982750512	
9.	श्रीमति अनुपमा नायक (असाटी)	टीकमगढ़	9425880413	
10.	श्रीमति ममता असाटी	बरबसपुरा	9284457709	
11	श्री आलोक असाटी	दमोह	9926583860	
12	श्री भरत असाटी (शिक्षक)	भगवां	8370093005	

अखिल भारतीय असाटी (वैश्य) समाज महासभा बायलॉज संशोधन समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूपको 12 जनवरी 2020 दिन रविवार स्थान बड़ामलहरा में अखिल भारतीय असाटी समाज महासभा की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

अशोक गुप्ता (असाटी)
अध्यक्ष महासभा

शैलेन्द्र गुप्ता (असाटी)
महामंत्री महासभा

अखिल भारतीय असाटी (वैश्य) समाज महासभा

बायलॉज (नियमावली)

धारा (एक)

इस संस्था का नाम – अखिल भारतीय असाटी (वैश्य) महासभा

धारा (दो)

कार्यालय – राम मंदिर आनन्द नगर भोपाल

धारा (तीन)

उद्देश्य –

(क) समस्त असाटी समाज (वैश्य) के घटक जो भाषाए प्रांतीयताए रीति–रिवाजों के कारण वर्तमान में यत्र – तत्र बिखरे हुए एवं देश विदेश में रह रहे समाज बंधुओं को अखिल भारतीय असाटी महासभा के अंतर्गत एक सूत्र में पिरोनाएं जिससे समाज में आपसी सौहार्द स्थापित हो और समाज शैक्षणिकए सांस्कृतिक, आर्थिक, वैचारिक तथा बौद्धिक रूप से सुदृढ़ होकर सनातन धर्म का संरक्षण करने में समर्थ हो। राष्ट्र में व्याप्त आतंकवाद, भ्रष्टाचार, अराजकता को जड़–मूल से मिटाने के कार्य को समाज का प्रत्येक सदस्य अपना प्राथमिक कर्तव्य समझे, ताकि हमारा देश अपनी पूर्व गरिमा को प्राप्त करते हुए जगतगुरू के पद पर पुन: स्थापित हो सकें।

(ख) समाज के आश्रयहीन स्त्री पुरूष त्यक्ता एवं विधवा महिलाओं को पुनर्स्थापित करने में सहयोग देना तथा उनके जीविकोपार्जन के साधन जुटाने में सहायता करना, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ समाज में अपना जीवन यापन कर सकें एवं बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर ऊंचा उठाना। समाज को कुरीतियों रूढ़ियों से मुक्त करने तथा समाज सुधार के लिये आधुनिक वैज्ञानिक प्रयास करने किन्तु परम्परागत संस्कार संस्कृति एवं गौरव को समयानुकूल समन्वय के साथ बनाये रखने हेतु निरंतर जागृति अभियान चलाना।

(ग) देश के जिन भागों में असाटी समाज की बहुलता है, उन सभी स्थानो पर धर्मशाला, असाटी भवन, शिक्षण संस्थायें, पुस्तकालय, छात्रावास, न्यास आदि की स्थापना करने के लिए योजना बनाना तथा कार्यरत संस्थाओं के प्रबंध में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करना एवं स्थानीय समाज कोअपनें विकास के लिये आर्थिक जिम्मेदारी उठाने हेतु प्रेरित करना। धर्मशाला समाज भवन का रखरखाव एवं शिक्षण संस्थानो की स्थापना करना।

(घ) नगरों तथा ग्राम समूहों में समय–समय पर संस्कार वर्गों का आयोजन कर बालकों एवं युवा जानों में संस्कृति एवं वैदिक संस्कारों के प्रति अभिरुचि जागृत करना। असाटी समाज के उन विद्यार्थियों की जो आर्थिक अभाव के कारण उच्च शिक्षा अध्ययन और कार्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं, सहयोग करना तथा इसके लिए स्थाई शिक्षा कोष की स्थापना कर उसकी व्यवस्था करना। समाज के वह सभी बंधु जो गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें उपचार हेतु तात्कालिक सहयोग करना एवं एतदर्थ संजीवनी कोष की स्थापना करके नियमानुसार राहायता करना।

धारा (चार)

सदस्यता अधिकार

(क) असाटी समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्त्री या पुरुष जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो और जिसको इरा संस्था का संविधान पूर्णत: मान्य हो, इस संस्था का सदस्य हो सकेगा एवं सदस्यता के लिए इच्छुक प्रत्येक स्त्री व पुरुष को 100 रूपये शुल्क देकर सदस्य बनना अनिवार्य होगा।

(ख) समाज के रागरत श्रेणी के सदस्य ही संस्था के संगठनात्मक चुनाव में भागीदार होंगे। सदस्यता ग्रहण करते ही महासभा के अभिन्न अंग होने का अधिकार प्राप्त हो जायेगा। सदस्यता की अवधि 3 वर्ष होगी।

(ग) यदि कोई भी सदस्य महासभा की आजीवन सदस्यता लेना चाहता है तो उसकी सदस्यता शुल्क 1000/– रू. होगी ।

धारा (पांच)

सदस्यता प्रकार –

इस संस्था के सदस्यों के प्रकार निम्नलिखित होंगे

1. संरक्षक

2. परम सहयोगी

उपरोक्त सभी सदस्यों को अखिल भारतीय महासभा में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मान्य किया जावेगा एवं इन्हें मताधिकार का अधिकार होगा। संरक्षक एवं परम सहयोगी तीन वर्ष की अवधि मान्य होगी और यदि उनके द्वारा नवीनीकरण कराया जाता है तो वरिष्ठता बनी रहेगी।

3. विदेशों में रहने वाले असाटी जाति बंधुओं को नि:शुल्क सदस्यता प्रदान की जायेगी ताकि समाज को अंतराष्टीय गौरव प्राप्त हो।

धारा (छः)
समाज का संगठनात्मक स्वरूप –

असाटी (वैश्य) समाज को ग्राम/नगर स्तर से अखिल भारतीय स्तर तक के संगठनों को एक मजबूत स्वरूप में ढालने के लिए निम्न प्रकार से 19 क्षेत्रों में विभाजित किया गया

1)जबलपुर	2) कटनी	3) गोंदिया	4) बालाघाट
5) दमोह (बटियागढ़ एंव फुटेरा)	6) हटा – अमानगंज	7) सागर – बंडा	8) टीकमगढ़
9) खरगापुर – बल्देवगढ़	10) बड़ामलहरा	11) हीरापुर – शाहगढ़	12) विजावर – सटई
13) भोपाल	14) छतरपुर	15) इंदौर	16) छत्तीसगढ़
17) खुरई – बीना	18) घुवारा– बडागांव	19) अन्य क्षेत्र	

अन्य क्षेत्र से अभिप्राय निवासरत उपरोक्त 18 क्षेत्रों में सम्मिलित परिवारों को छोड़कर भारत के अन्य स्थानों में बसे निवासरत परिवार सम्मिलित रहेंगे।

धारा (सात)
संगठन का आधार

1) समाज के प्रत्येक क्षेत्र में उस हर ग्राम/नगर में एक ग्राम /नगर समिति होगी जहां समाज के 25 या उससे अधिक घरों की संख्या होगी।

2) यदि किसी ग्राम में समाज के घरों की संख्या 25 से कम है तो वह ग्राम अन्य समीपस्थ ग्राम समिति से जोड़ा जाएगा।

3) प्रत्येक ग्राम/नगर समिति 3 स्तरीय होगी
(अ) सामान्य समिति (ब) नवयुवक समिति (स) महिला समिति

4) नव युवक समिति में सदस्यों की आयु सीमा अधिकतम 40 वर्ष होगी। नवयुवकों की समिति नवयुवकों द्वारा बनाई जाएगी एवं महिला समिति महिलाओं द्वारा बनाई जायेगी और सामान्य समिति को सभी वर्ग के लोग चुनेंगे।

उपरोक्त संगठनों में प्रत्येक स्तर पर एक–एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, प्रचार सचिव एवं समाज के घरों की संख्या के आधार पर कार्यकारिणी सदस्य होंगे। इनका चयन समिति के सदस्यों के बीच से होगा।

धारा (आठ)

क्षेत्रीय समिति

1. असाटी वैश्य विकास समिति जबलपुर
2. गोंदिया क्षेत्रिय विकास समिति
3. छत्तीसगढ़ असाटी समाज

इनके अध्यक्ष महासभा के मनोनीत उपाध्यक्ष माने जायेंगे। ये समितियां महासभा के प्रति जवाबदेह रहेगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि उपरोक्त तीनों समितियों का पंजीयन महाराभा के पंजीयन के पूर्व हो चुका था।

धारा (नौ)

अखिल भारतीय महासभा का गठन

1. जो भी समाज बंधु अखिल भारतीय असाटी समाज की सदस्यता ग्रहण करेगा वह महासभा के गठन की प्रकिया मे मताधिकार का पात्र होगा। परंतु उसकी उम्र 18 वर्ष से कम न हो ।
2. अखिल भारतीय महासभा में महासभा का गठन निम्न प्रकार होगा। गठन की प्रक्रिया लोकतांत्रिक तरीके से होगी। जिनमें निम्न पद पर चुनाव होगा

क्रमांक	पद	पदों की संख्या
1.	अध्यक्ष	1
2.	उपाध्यक्ष	1
3.	महामंत्री	1
4.	कोषाध्यक्ष	1
5.	संयुक्त सचिव	1
6.	महिला अध्यक्ष	1
7.	युवा अध्यक्ष	1

संवैधानिक धारा 9 के कंडिका 3 में अखिल भारतीय महासभा का गठन उक्त प्रकार से होगा। इसमें यह संशोधन किया गया है कि निर्वाचन केवल 7 पद पर होगा। महिला अध्यक्ष एवं युवा अध्यक्ष समिति गठन करने हेतु पूर्णत: स्वतत्र है वह चाहे समिति का गठन मनोनयन प्रकिया से करें वह चाहे तो चुनाव प्रकिया से करें। सारे पद संवैधानिक होगे। उनके पूरे दायित्व निर्धारित होगें।

धारा (दस)

संरक्षक मंडल को निरस्त कर उसके के स्थान पर अब मार्गदर्शक मंडल होगा। 19 क्षेत्रों मे सें मार्गदर्शक मंडल का गठन किया जायेगां। महासभा बैठक कर सभी 19 क्षेत्रों के मार्गदर्शकों का मनोनयन

करेगी। महासभा क्षेत्रीय समितियों से तीन व्यक्तियों का पैनल मांगेगी किन्तु महासभा द्वारा तय की गई समायावधि के अंतर्गत यदि कोई नाम क्षेत्रिय समिति द्वारा नामित नहीं किया जाता तब महासमा मनोनयन हेतु स्वत्रंत होगी।

धारा (ग्यारह)

समिति की महासभा का कार्यकाल

प्रत्येक ग्राम/नगर समिति, क्षेत्रीय समिति एवं अखिल भारतीय महासभा का कार्यकाल गठन दिनांक से तीन वर्ष का होगा। विशेष कारणों से नयी समिति गठित न होने पर पुरानी समिति कार्यरत रहेगी। नयी समिति के गठन की जवाबदारी पुरानी समिति की होगी। छः माह तक नयी समिति का गठन न होने पर समिति/महासभा के कम से कम दो तिहाई सदस्य मिलकर नयी समिति का गठन कर सकेगें यदि किन्हीं कारण गठन नहीं हो सका ता समिति 6 माह के लिए अपना कार्यकाल और बढा सकती है।

धारा (बारह)

सदस्यता शुल्क

(1) प्रत्येक सदस्य को जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, उन्हें 100 रूपये प्रति सदस्य के हिसाब से सदस्यता शुल्क देनी होगी। इसके अतिरिक्त सदस्यता शुल्क के संदर्भ में अखिल भारतीय महासभा द्वारा समय पर जो भी निर्णय लिया जाता है, सभी सदस्यों का मान्य होगा। यह सदस्यता सिर्फ तीन वर्षाय होगी और नये चुनाव होने पर पुनः सदस्यता शुल्क सभी सदस्यों को देनी होगी।

(2) महासभा की आजीवन सदस्यता हेतू शुल्क 1000/– रू. प्रति सदस्य देनी होगी ।

(3) सदस्यता शुल्क से प्राप्त कुलराशि का 40 प्रतिशत स्थानीय समिति अपने पास रखेगी एवं 60 प्रतिशत अखिल भारतीय महासभा को प्रेषित किया जावेगा।

(4) समाज की प्रत्येक समिति को महासभा के सदस्यों को समय पर अपनी निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा।

धारा (तेरह)

बैठकें

(1) प्रत्येक ग्राम नगर समिति की नियमित बैठकें होगी। अखिल भारतीय महासभा की बैठक वर्ष में दो बार होगी एवं क्षेत्रीय समिति एवं ग्राम /नगर समिति की बैठक वर्ष में 3 बार होगी।

(2) बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा एवं दोनों के न रहने पर उपस्थित सदस्यों में किसी सम्माननीय सदस्य द्वारा की जायेगी।

(3) प्रत्येक समिति एवं महा सभा के कुल सदस्यों को 30 प्रतिशत सदस्यों का रहना अनिवार्य होगा। बैठक प्रारंभ होने पर निर्धारित सदस्यों की संख्या न हो तो 15मिनट के लिए स्थगित कर प्रक्रिया पुन प्रारंभ की जा सकेगी।

(4) ग्राम समिति/नगर समिति एवं क्षेत्रिय समितियों का अपनी हर बैठक में महासभा द्वारा मनोनीत उपाध्यक्ष को बैठक में आंमत्रित करना अनिवार्य होगा एवं उपाध्यक्ष बैठक की समस्त जानकारी महासभा को प्रेषित करेगा।

धारा (चौदह)

निर्वाचन पद्धति

(1) अखिल भारतीय महासभा का चुनाव

अखिल भारतीय महासभा का तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व साधारण सभा की बैठक आयोजित की जावेगी। जिसमें सूचना पत्र में सूचना बिंदुओं में संगठनात्मक चुनाव उसकी तारीख स्थान समय का उल्लेख किया जायेगा। निवृत्तमान अध्यक्ष व पदाधिकारियों से चर्चा करके किसी भी वरिष्ठ एवं निष्पक्ष व्यक्ति को **मुख्य निर्वाचन अधिकारी** मनोनीत करेगा जिसके नाम का उल्लेख सूचना पत्र में देना होगा। अपरिहार्य कारणों से चुनाव समय पर न होने के कारण कार्यकारिणी अपनी बैठक में 6 माह बढ़ा सकेगी। किन्तु ऐसा दो बार से अधिक नहीं होगा।

(2) महासभा मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सहमति से सह निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करेगी।

(3) चुनाव प्रकिया

(1) महासभा की सदस्यता ग्रहण करने वाले व्यक्ति को ही विभिन्न पदों हेतु नामांकन करने एवं मतदान करने हेतु अधिकार प्राप्त होगा।

(2) एक व्यक्ति एक ही पद के लिए नामांकन भर सकेगा।

(3) प्रत्येक पद के लिये नामांकित राशि 10000/– (दस हजार) रूपये फॉर्म भरते समय जमा करनी होगी।

(4) फार्म की राशि की वापिसी नही की जावेगी। यदि किसी पद में आम सहमति के आधार पर कोई फॉर्म वापिस लेता है तो ऐसी स्थिति में 50 प्रतिशत राशि वापिस होगी।

(5) क्षेत्रवार मतदान की प्रक्रिया आयोजित होगी।

धारा (पंद्रह)

अधिवेशन

एक कार्यकारिणी के संपूर्ण कार्यकाल में कम से कम एक अधिवेशन या महा अधिवेशन होना चाहिए। जिसमें देश भर की सभी इकाईयों, सभी श्रेणी के सदस्य समाज से संबद्ध सहयोगी संस्थाओं को भाग लेने की अनुमति रहेगी। अधिवेशन की अध्यक्षता महासभा के अध्यक्ष करेंगे। अधिवेशन हेतु एक समिति

आवश्यकतानुसार गठित की जावेगी। वह क्षेत्र की इकाई के ऊपर निर्भर होगा। पदाधिकारियों द्वारा या समितियों द्वारा विचार विमर्श करके किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया जा सकेगा। अधिवेशन हेत उस इकाई को सहयोग राशि संग्रह का पूरा अधिकार होगा। जिसकी अनुमति महासभा के अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष से लेना होगी।

अधिवेशन में विचारार्थ प्रस्ताव एवं विषय प्रस्तुत करने की अध्यक्ष से अनुमति लेना होगी और सभी प्रस्ताव लिखित में सात दिन के पूर्व महामंत्री को भेजना होंगे। अध्यक्ष की अनुमति से अधिवेशन की कार्यसूची एवं कार्यक्रम निर्धारित होगा। अधिवेशन को महामंत्री संचालित करेंगे अथवा किसी भी सुयोग्य व्यक्ति को संचालन करने का दायित्व दे सकेंगे।

धारा (सोलह)

पत्रिका प्रकाशन एवं न्यास

असाटी समाज की पत्रिका का प्रकाशन होगा। जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा संपादक प्रबंधक एवं अन्य पदों की नियुक्ति की जावेगी एवं समाज में किसी जगह न्यास बनाया जाता है तो न्यासियों की नियुक्ति स्थानीय स्तर पर गठित समितियों द्वारा की जावेगी एवं अखिल भारतीय महासभा से अनुमोदन किया जावेगा।

धारा (सत्रह)

समितियों के पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार

ग्राम/नगर समिति, क्षेत्रीय समिति एवं अखिल भारतीय महासभा के विभिन्न पदाधिकारियों को समाज हित के लिये सर्वप्रथम एक स्वयंसेवक के रूप में अपने अपने आपको स्थापित करना होगा। विभिन्न पदाधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार निम्नानुसार होंगे –

क. अध्यक्ष –

सभी प्रकार की समितियों/महासभा की प्रत्येक बैठक में उसका अध्यक्ष ही कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। प्रत्येक विषय में विचार विमर्श के बाद बहुमत के आधार पर निर्णय करने का दायित्व भी अध्यक्ष का होगा। संस्था के प्रमुख व्यक्ति होने के नाते समिति के प्रत्येक कार्यों को रचनात्मक दिशा देने में अध्यक्ष का महत्वपूर्ण दायित्व होगा। आकस्मिक अवश्यकता पर समाजहित मे कोई भी घोषणा करने का अधिकार अध्यक्ष को रहेगा परंतु घोषणा के एक माह के अंदर उसे अपनी कार्यसमिति में उस घोषणा को विधिवत् पारित कराना होगा।

ख. उपाध्यक्ष –

प्रत्येक समिति की बैठकों में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके उपाध्यक्ष एवं महासभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता की जावेगी। अध्यक्ष की उपस्थिति में उपाध्यक्ष की महत्ता कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य के रूप में रहेगी।

ग. महामंत्री/सचिव

समितियों के सचिव एवं महासभा के महासचिव द्वारा ही प्रत्येक बैठक का आयोजन एव संचालन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रत्येक बैठक में पर्व सभी सदस्यों को कार्यसूची सहित आमंत्रित करना भी उनका दायित्व होगा। समिति/महासभा की कार्यवाही एवं तत्पश्चात् निर्णयों के कियान्वयन की प्रकिया के संपादन के लिए भी उन्हें ही उत्तरदायित्व निभाना होगा इन्हें अपना एक या एक से अधिक अपने कार्यालय का नंबर एवं निजी व्हाट्सएप नंबर समाज को प्रकाशित करना होगा समाजबंधुओ की सभी समस्याएं/सुझाव/शिकायत इसी नंबर पर देना होगी एवं महामत्री को 15 दिवस के अंदर संबधित समाजबंधु को जबाव देना होगा समाजिक ग्रुपों पर कोई जबाव देने के लिए महामंत्री बाध्य नही होगें। यदि महामंत्री समाजहित मे ऐसा समझते है कि आपके प्रश्न और महासभा का जबाव ग्रुपों पर देना उचित है तो वह समाज की जानकारी में लाने के लिए स्वतंत्र है।

घ. संयुक्त सचिव –

महासभा के महासचिव के सहयोगी के रूप में कार्य करना होगा एवं सचिव की अनुपस्थिति में बैठकों की कार्यवाही एवं महासचिव के दायित्वों को निर्वहन करना होगा।

ड. कोषाध्यक्ष –

प्रत्येक समिति/महासभा के कोषाध्यक्ष समिति के कोष से संबंधित समस्त आय–व्यय का लेखा–जोखा रखेंगे एवं किसी भी 5000/– रूपये के ऊपर के व्यय पर अध्यक्ष की अनुमति लेकर अनुमोदित करवायेंगे। किसी भी बैठक में वे पूर्व समय तक के आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा रखेंगे। वार्षिक लेखा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा और प्राप्त राशि की रशीदे संबधित को राशि प्राप्त होने के बाद कोषाध्यक्ष को प्रेषित करनी होगी। कोषाध्यक्ष आय का स्त्रोत बढाने के लिये सदैव प्रयास करेंगे। एक वर्ष में कम से कम क्षेत्र के तीन दौरे करना आवश्यक होगा।

च. महिला अध्यक्ष –

1. महिला अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाने के लिए स्वतंत्र होगी।
2. प्रत्येक क्षेत्र में अपनी महिला स्थानीय/नगर समितियां गठित करेगें।
3. महिलाओं को जागृत करने के लिए नये नये कार्यक्रमों का आयोजन करेगें।
4. राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिला शक्ति स्थापित हो , ऐसा प्रयास करेगी।
5. महासभा के मार्गदर्शन में ही महिला समिति कार्य करेगी।

छः युवा अध्यक्ष

1. युवा अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाने के लिए स्वतंत्र होगे।
2. प्रत्येक क्षेत्र मे अपनी युवा स्थानीय/नगर समितियां गठित करेगें।

3. युवाओ को जाग्रत करने के लिए नये नये कार्यक्रमो का आयोजन करेगें।
4. राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों युवा शक्ति स्थापित हो, ऐसा प्रयास करेगें।
5. महासभा के मार्गदर्शन में ही युवा समिति कार्य करेगी।

ज. कार्यकारिणी सदस्य –

19 क्षेत्रों में एक–एक उपाध्यक्ष (क्षेत्रीय) ही कार्यकारिणी सदस्य होगा।

धारा (अठारह)

समिति /महासभा का कोष

(अ) ग्राम/नगर समिति के कोष की समस्त निधि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के अध्यक्ष कोषाध्यक्ष एवं सचिवों में से किन्हीं दो के द्वारा संचालित खाते के रूप में रखी जावेगी।

(1) स्थानीय / नगर समिति के मामले में कार्यालय जिस स्थान पर होगा, वहां के वरिष्ठतम् पदाधिकारियों में से किन्हीं दो के नाम पर बैंक में खाता खोला जावेगा।

(2) महासभा के मुख्यालय के स्थान पर निवासित अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष या महासचिव में से कोई एक अथवा दोनों के नाम पर खाता खोला जावेगा। केवल एक के ही मुख्यालय ग्राम का होने पर अन्य वरिष्ठतम् सदस्य को भी संयुक्त नाम के लिए जोड़ा जा सकेगा।

आय के स्रोत्र –

(1) आय के स्त्रोत के लिए तीनो गाम नगर एवं क्षेत्रीय समितियां अपने अपने तरीके से स्वतंत्र है सभी का एक उददेश्य रहेगा कि आर्थिक अभाव मे कोई भी समाजिक कार्य न रूके एवं अपने अपने यहा विकास की नीति स्वंय बनाकर अमल करे।

(2) कोषाध्यक्ष जी समय समय पर ग्राम नगर समितियों की बैठको मे उपस्थित रहकर आय के स्त्रोत बढाने सृजित करने पर समितियों का मार्गदर्शन देगे एंव अपनी रिपोर्ट महासभा को देगे।

(3) सभी समितियो को अपनी स्थानीय आवश्यकताएं तो पूरी करनी ही है साथ ही राष्ट्रीय कोष के लिए भी प्रयत्न करना है इसके लिए अपने अपने स्तर पर कोई न कोई योजना विकसीत करें।

(4) राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष इस बावत रास्ता, सामाधान और उसकी प्राप्ति हेतु समय समय पर लक्ष्य का निर्धारण कर सकते हैं।

(5) प्रत्येक जगह सहयोग छोटे से छोटा रखें पर सहयोग सतत् रखने की नीति लागू करें।

(स) व्यय हेतु प्रावधान

प्रत्येक समिति एवं अखिल भारतीय महासभा मे किसी भी व्यय के लिए अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी। कोष का संचालन करने वाले सभी पदाधिकारी समस्त कोष बैंक/ पोस्टऑफिस में रखेंगें।

अप्रत्याशित खर्चों के लिए अधिकतम राशि 1000/– रू., ग्राम/नगर समिति द्वारा 2000/– रू. क्षेत्रिय समिति द्वारा, एवं 5000/– रू. अखिल भारतीय महासभा द्वारा नगद रखे जा सकेगें।

धारा (उन्नीस)

लेखा–जोखा, विधान एवं अंकेक्षण

1. प्रत्येक समिति एवं महासभा के अध्यक्ष कार्यकारिणी की सहमति से कार्यकारिणी में से ही किसी एक व्यक्ति को लेखा–जोखा की जांच हेतु अंकेक्षण मनोनीत करेंगे जो प्रत्येक वर्ष सालाना लेखा–जोखा का अंकेक्षण कर अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष को सौंपेंगे।
2. प्रत्येक महासभा की कोषाध्यक्ष, सचिव/महासचिव के परामर्श से समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखेंगे। जिसे प्रतिवर्ष आम सभा के समय सदन के पटल पर रखना होगा।

धारा (बीस)

बैठकों की कार्यवाही

प्रत्येक ग्राम/नगर/क्षेत्रीय समिति के सचिव एवं अ.भा. महासभा के सचिव समस्त बैठकों की कार्यवाही को रिकार्ड में अंकित करेंगे एवं अगली बैठक के समय पूर्व समय में लिये गये निर्णयों को सदन पटल पर रखेंगे। इस हेतु समितियों के संयुक्त सचिव उन्हें सहयोग करेंगे।

धारा (इक्कीस)

उप समितियों का गठन

ग्राम क्षेत्र अथवा अखिल भारतीय स्तर पर कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु अन्य उप समितियों का गठन अध्यक्ष की अनुमति एवं कार्यकारिणी के अनुमति द्वारा किया जा सकेगा। परन्तु इन उपसमितियों को मुख्य समिति के अंतर्गत ही कार्य करना होगा। जिसमें महिला समिति, युवा समिति, चिकित्सा प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ ,पुरातत्व प्रकोष्ठ, शिक्षा समिति, सांस्कृतिक समिति एवं अन्य समितियां परिस्थितियों के अनुसार बनाई जायेंगी।

धारा (बाईस)

पदाधिकारियों के इस्तीफे

1. किसी भी समिति अथवा महासभा के पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र दिये जाने पर अध्यक्ष द्वारा बैठक में कार्यकारिणी के सहयोग से उसकी पूर्ति की जावेगी।
2. अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र देने पर समिति महासभा के उपाध्यक्ष / वरिष्ठ उपाध्यक्ष संस्था प्रमुख होंगे और उनकी अध्यक्षता में संस्था के आपातकालीन बैठक बुलाई जायेगी। जिसमें नये अध्यक्ष का चुनाव होगा।
3. किसी भी पदाधिकारी के त्याग पत्र से समिति / महासभा भंग नहीं होगी।

धारा (तेईस)

अनुशासन

1. महासभा के उद्देश्यों एवं संविधान के विपरीत आचरण करने वाले का अनुशासन हीनता हेतु कारण बताओ सूचना पत्र देने के पश्चात् निर्धारित अवधि में उत्तर देने पर, उत्तर संतोष जनक न होने पर पद मुक्त किया जा सकेगा या तीन वर्ष के लिए सदस्यता से अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।
2. महासभा की किसी भी स्तर की इकाई के द्वारा महासभा के पदाधिकारी एवं अथवा किसी भी सदस्य की वित्तीय अनियमितता के प्रमाण सहित शिकायत पर अनुशासन हीनता की कार्यवाही की जा सकेगी।
3. किसी भी समिति/महासभा के सदस्य के आपराधिक कृत्य अथवा पागल होने पर भी समिति/ महासभा की सदस्यता समाप्त मानी जावेगी।

धारा (चौबीस)

विवाद निराकरण

1. आर्थिक अनियमितता या विवाद की जांच हेतु दो या तीन सदस्यों की जांच समिति गठित की जावेगी।
2. राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी संगठनात्मक या सामाजिक अथवा संपत्ति के विवाद के निराकरण हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव, युवा अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष बैठकर सर्वमान्य हल खोजेंगे अथवा विवाद का पटाक्षेप करेंगे।
3. संगठनात्मक विवाद की स्थिति में उस इकाई के ऊपर की इकाई का अध्यक्ष विवाद निराकरण हेतु तीन सदस्यों की समिति का गठन करेगा।

धारा (पच्चीस)

बैठकों में उपस्थिति

1. किसी भी समिति की बैठक में लगातार तीन बार अनुपस्थित रहने पर सदस्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है। सदस्य बिना पूर्व सूचना के यदि लगातार तीन बार बैठकों में अनुपस्थित रहे तो उसे पत्र द्वारा चेतावनी दी जावेगी। पत्रोत्तर प्राप्त न होने पर कार्यकारिणी द्वारा विचार किया जायेगा एवं संतुष्ट न होने पर उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकेगी।
2. क्षेत्रीय समिति एवं अ.भा. महासभा की लगातार दो बैठकों में अनुपस्थित रहने पर सदस्य पर कार्यवाही हेतु उपरोक्त पैरा–1 के अनुसार कार्यवाही होगी।

धारा (छब्बीस)

(सामाजिक उपाधियाँ) सम्मान

अखिल भारतीय असाटी समाज के द्वारा ऐसे किसी समाज बंधुओं को जिन्होंने समाजहित में अतुलनीय एवं उल्लेखनीय योगदान दिया हो, उस समाज बंधु को महासभा द्वारा एक चयन समिति बना कर प्रति वर्ष एक व्यक्ति को असाटी समाज रत्न से सम्मानित करेगी।

धारा (सत्ताईस)

समाज का ध्वज एवं प्रतीक चिन्ह व समाज दिवस

अखिल भारतीय असाटी समाज का झण्डा भगवा रंग का है जिसमें शंख का चिन्ह होगा और प्रतीक चिन्ह शंख है और असाटी दिवस शरद पूर्णिमा को मनाया जावेगा।

एक संविधान एक ध्वज एक प्रतीक चिन्ह को सभी समाजबंधु अनुसरण करेगें।

समाज में सेवा कार्य हेतु अन्य कोई समिति/संगठन का निर्माण होता है यह अच्छी बात है किंतु नया संगठन/ समिति महासभा के अधीन ही रहेगी।

समाज में किसी भी प्रकार से दो संविधान, दो ध्वज, दो प्रतीक चिन्ह, की अनुमति नही होगी।

धारा (अट्ठाईस)

कोरम का अभाव

महासभा के चुनाव में चयनित सदस्य संख्या 50 प्रतिशत से कम होती है तो चुनाव नही होंगे एवं महासभा/चुनाव समिति द्वारा आगामी चुनाव की तारीख तय की जायेगी।

(इसका आशय है कि किन्ही भी कारणों से कुल पदों में से 50 प्रतिशत उम्मीदवार ही चुनाव में भाग नही लेते है या निर्विरोध सहित इनकी संख्या 50 प्रतिशत से कम रहती है तो ऐसी स्थिति में चुनाव की तारीख निरस्त कर आगे नई चुनाव की तारीख का ऐलान होगा।)

धारा (उन्तीस)

संशोधन

अखिल भारतीय महासभा को कार्यकारिणी की बैठक में किसी भी तरह का संशोधन करने का अधिकार होगा। वह संशोधन समाज व देश हित में होगा।

धारा (तीस)

सभी समाजबंधुओ को अपने उपनाम के बाद असाटी शब्द का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

धारा (इकत्तीस)

निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा का मुख्य संरक्षक होगा।

अखिल भारतीय असाटी समाज का 19 क्षेत्रों में क्षेत्रवार नगर एवं ग्राम का परिसीमन

1. जबलपुर क्षेत्र

जबलपुर क्षेत्र के अंतर्गत अने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– जबलपुर नगर, निरंदपुर, टिकारी, गनियारी, पौड़ी, चौदहमील, कटंगी, बम्हनौदी, सरा, पनागर, कालाडूमर, इंद्राना, सिंगलदीप, बुढ़ागर, हृदयनगर, गौसलपुर, सिहोरा, धनगवा।, मंडला, मेहदवानी, मानिकपुर।

2. कटनी क्षेत्र

कटनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– कटनी नगर, तेवरी, दशरमन, शनकुई, देवरी, ढीमरखेड़ा, बम्हनी, सिमरिया, पान उमरिया, पौड़ीकला, अधेलीवाग, पचपेढ़ी, घुघरी, भजिया, बड़वारा, रोहनिया, वनहरा, नन्हवारा (सेजा), भगनवारा, विलायतकला, नन्हवारा (बागरी), कांटी, देवराकला, कटंगी (खुर्द), भरोला, अखरार, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल।

3. गोंदिया क्षेत्र

गोंदिया क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– गोंदिया नगर, कांटी, कट्टीपार, आमगांव, सालेकसा, तिरोडा, मुण्डीकोटा, कबलेवाड़ा, बरठी, धामनगांव, देवरी, सरकारटोला, भागी, डोगरगांव, सकरीटोला, कालीमाटी, बारेकहार, कोड़ेलुहारा, कोहलारो, भजेपार, सर्रा, बड़ेगांव, चिखली, गणेगांव, धामनेवाड़ा, एकोड़ी, बरवसपुरा, कांचेवानी, सोनेगांव, नवेगांव, इंदौरा, बेरडीदार, गांगला, सितेपार, करडी, सिल्ली, खड़की, नवेदन, सुकड़ी, विरसी, कैसलेवाड़ा, ऐलोरा, भंडारा, गढ़चिरौली, कापसी, तुमसर, हिगना, बाजारगांव, शिवा, वर्धा, पुसद, राजारामपुर, नागपुर।

4. बालाघाट क्षेत्र

बालाघाट क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– बालाघाट नगर, लामटा, बारासिवनी, बैहर, हिर्री, नैनपुर, खैरलॉजी, भोरगढ़, कटंगी, कोहका, विरसा, खारा, देवगांव, परसवाड़ा, किरनापुर, बिनौरा, सेवती, चांगोंटोला, सिवनी, बरघाट, लखनादौन।

5. दमोह क्षेत्र

दमोह क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– दमोह नगर, तेजगढ़, नोहटा, नरसिंहगढ़, इमलिया, गंजतवेरी, मोसीपुरा, बांदकपुर, जुझार, विसनखेड़ी, टौरी, गुंजी, हटरी, राजापटना, ममरखा, चिरौला, बटियागढ़, फुटेरा, लुकायन, बकायन, कैथोरा, रियाना, आलमपुर, समना।

6 हटा-अमानगंज क्षेत्र

हटा– अमानगंज क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम:– हटा, लुहारी, बंधा, पटेरा, खमरिया, हिनौता, अमानगंज, हुसैना, पन्ना, रनहे।

7. सागर-बंडा क्षेत्र

सागर–बंडा क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– सागर नगर, गढ़ाकोटा, जैसीनगर, बंडा।

8. टीकमगढ़ क्षेत्र

टीकमगढ़ क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम:– टीकमगढ़ नगर, नन्हीटेरी, कुण्डेश्वर, गनियारी, पठा, केनवारा, दरगुवां, मडाबरा, मेहरोनी, गिदवाहा, साडूमल, मेनवार, कुम्हेडी, नैनवारी, बुढ़ेरा, सूडाखेडा, मैनवारी, धमरपुरा, रानीपुरा, मऊरानीपुर, ललितपुर।

9. खरगापुर-बल्देवगढ़ क्षेत्र

खरगापुर – बल्देवगढ़ क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम :– खरगापुर, बल्देवगढ़, देरी, भानपुरा, गरौला, मातौल, जोरा, कोटरा, चंदेरी, पलेरा, फुटेर, इमलाना, डारगवां, देवरदा, चिनगवां, सिजोरा, ददगी, दौह, गैती, पथगवां, बनयानी, तालमउ, नयागांव, सुजारा, वनपुरा, पुताई, हटा, निवसाई, खुरिल्ला, इमलिया, सूरजपुरा, डिकोली, भैसाय, मउकड़वा, लड़वारी, कछियाखेड़ा, कमलनगर, मोनमातकाखेड़ा।

10. छतरपुर क्षेत्र

छतरपुर क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम के नाम:– छतरपुर, नौगावं, चंद्रनगर, बमीठा, बमरीह, खजुराहो।

11. हीरापुर-शाहगढ़ क्षेत्र

हीरापुर– शाहगढ़ क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– हीरापुर, शाहगढ़, नरवा, रामपुर, तिगौड़ा, अमरमउ, लुढ़ियारा, लुहानी, बकस्वाहा, बम्होरी, गुगवारा।

12. बडामलहरा क्षेत्र

बडामलहरा क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– बडामलहरा, सडवा, गरगुवां, सेंधपा, भगवां, धमरपुरा, रमपुरा, खरदौती, घिनोची, मासनखेड़ा, दरगुवां।

13. बिजावर सटई क्षेत्र

बिजावर सटई क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– बिजावर, जखरोद, रजपुरा, किशनगढ़, सटई, झुमटुली, कुपिया, अमरोनियां, रामनगर, मातगुवा, गुलगंज, हिम्मतपुरा, छिरावल, ईशानगर, बिहटा, कुड़रा, मढ़ियाबुजग।

14. भोपाल क्षेत्र

भोपाल क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– भोपाल नगर, सुहागपुर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद।

15. इंदौर क्षेत्र

इंदौर क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– इंदौर नगर, उज्जैन, देवास, खंडवा, झाबुआ, सोनकक्ष, शाजापुर, शिवपुरी।

16. छत्तीसगढ़ क्षेत्र

छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– रायपुर नगर, विलासपुर, धमतरी, जांगगीर, कटघोरा, चापा, रायगढ़, अंबिकानुर, दुर्ग, कोरिया, मनेन्द्रगढ़ विश्रामपुर, कोरवा, चनवारीडाट, भिलाई।

17. खुरई- बीना क्षेत्र

खुरई–बीना क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– खुरई, बीना

18. घुवारा- बडागावं क्षेत्र

घुवारा–बडागावं क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– घुवारा– बडागांव , अतौरा, डूंडा, बुद्रौर, बमनोरा, सोरखी, सेवार, पुतरी, विसवा, रामटोरिया, बंधा, भोपरा, बहादुरपुर, मबई।

19. अन्य क्षेत्र

अन्य क्षेत्र के अंर्तगत आने वाले नगर एवं ग्राम:– दिल्ली, मुबई, पूना, बैंगलोर, गाजियाबाद, नोयडा, हैदराबाद, लखनऊ, बांदा, अहमदाबाद, मेरठ, फिरोजपुर, हरपालपुर, मोहाली, ग्वालियर एवं अन्य नगर।

अशोक गुप्ता (असाटी)
अध्यक्ष महासभा

शैलेन्द्र गुप्ता (असाटी)
महामंत्री महासभा